बिहार सरकार <u>नगर विकास एवं आवास</u> विभाग अधिसूचना

सं०सं०—01/स्था० (का०पदा०)—05/2018/न०वि०एवंआ०वि०। श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / – (राम सेवक प्रसाद) सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-05/2018 60 / न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-11/2/19 प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर/नगर परिषद, नरकटियागंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी०

प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।